



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

[जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित]

गोरखपुर मंडल

श्री के जीवन पर पूर्णाविधि प्राप्त (Matured)
पालिसी सं० दिनांक की भुगतान रसीद।
मैं / हम बीमेदार एतद्द्वारा उपरोक्त निगम से
बोनस की रकम को जोड़कर रुपये की रकम की प्राप्ति पूर्ण / संतुष्टि के साथ
स्वीकार करता हूँ / करते हैं हम अपने जीवन / जीवनों की उपरोक्त पालिसी के अपने समस्त वादों और माँगों के लिये
भरपाई करता हूँ / करते हैं, जिसकी अवधि दिनांक पूर्ण होती है और जो एतद्द्वारा उपरोक्त
निगम को रद्द करने के लिये सौंपी जाती है।

बीमा धन रु०
बोनस रु०
अन्तरिम बोनस रु०

उम्र अधिक लिखी होने के कारण प्रीमियम की

अन्तर राशि.....

इसमें निम्न रकमें घटनी है।

बकाया देय प्रीमियम रु० रु०
बिलम्ब शुल्क रु०
ऋण रु०
ब्याज रु०
उम्र कम लिखी होने के कारण बीमा
धन और बोनस की अन्तर राशि रु०

जाँचकर्ता

आज (स्थान) दिनांक माह

उपरोक्त लिखे व्यक्ति ने नीचे लिखे साक्षी के सामने हस्ताखर किये हैं।

साक्षी यदि कुल रकम 500 रु०
पद से अधिक है तो 1/- रु०
पता का रसीदी टिकट लगाइये।

विशेष 1. भुगतान क्रासड् और आर्डर चेक द्वारा किया जायेगा। इसका भुगतान दावेदार के अपने व्यय और उसकी
जोखिम तथा जिम्मेदारी पर मनीआर्डर या डिमाँड ड्राफ्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि मनीआर्डर
या डिमाँड ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान चाहिये तो दावेदार / दावेदारों को नीचे लिखे आवेदन सम्बन्धी आलेख
में हस्ताक्षर करने चाहिये।

मैं / हम एतद्द्वारा अपनी जोखिम व जिम्मेदारी पर भारतीय जीवन बीमा निगम से उपर्युक्त रकम का भुगतान
मनी आर्डर बैंक के डिमाँड ड्राफ्ट के द्वारा
करने की प्रार्थना करता हूँ / करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं / हम पॉलिसी की रकम में से मनीआर्डर कमीशन / बैंक
सम्बन्धी शुल्क की कटौती कराने के लिए सहमत हूँ / हैं।

वर्तमान पता

दावेदार / दावेदारों के हस्ताक्षर

2. यह भुगतान रसीद बीमेदार द्वारा किसी हिन्दी जानने वाले साक्षी के सामने हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित की जानी चाहिए बशर्ते कि साक्षी बीमेदार को जानता हो।
3. हस्ताक्षर हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में होने पर उसका हिन्दी अनुवाद में उसी के नीचे अवश्य लिखा होना चाहिये।
4. अनपढ़ व्यक्तियों को अपने अंगूठे का निशान अवश्य लगाना चाहिये जिसकी शिनाख्त मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ पीस या राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी या निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी (बशर्ते वह दावेदार की पहिचान के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हों) के द्वारा की जानी चाहिये।
5. स्त्रियों के मामले में उनके अंगूठे के निशान की शिनाख्त के लिए उनके नाम के बाद उनके पिता तथा पति दोनों हैं के नाम दिये जाने चाहिए।

यदि इस भुगतान रसीद पर एक से अधिक व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं और चाहते हैं कि भुगतान उसमें से किसी एक को किया जाय तो हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को एक मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ पीस या गजटेड आफिसर या खण्ड विकास अधिकारी या निगम के प्रथम श्रेणी (अधिकारी बशर्ते कि वह निष्पन्नकर्ता की पहिचान के बारे में पूर्ण तथा सन्तुष्ट हो) के समक्ष नीचे लिखे अधिकार पत्र को भी पूरा करके उसमें हस्ताक्षर करने चाहिये। यदि भुगतान रसीद में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को रुपया दिया जाता हो तो उस दशा में भी इस प्रकार के अधिकार पत्र की आवश्यकता है। लेकिन यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि इस प्रकार से अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भुगतान करने के लिये निगम बाध्य नहीं है।

स्थान

दिनांक

मैं / हम एतद्द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार देता हूँ / देते हैं और प्रार्थना करता हूँ / करते हैं कि इसमें लिखी हुई रुपये की रकम श्री का भुगतान कर दी जाय।

इसमें उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों ने निम्न अधिकारी के सामने हस्ताक्षर किये

हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ पीस या राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी या निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी (बशर्ते कि निष्पन्नकर्ता की पहिचान के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हों)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार पत्र का व्यौरा मैंने श्री को उसकी / उनकी भाषा में समझा दिया है और वह / वे अधिकार प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों श्री को भुगतान कर दिये जाने के लिये राजी है / हैं।

मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ पीस या राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी या निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी (बशर्ते कि वह निष्पन्नकर्ता की पहिचान के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हों)

यदि अधिकार पत्र किसी अनपढ़ अथवा हिन्दी के अलावा कोई दूसरी भाषा जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरा गया हो तो यह चिन्हांकित लिखा पढ़ी प्रमाणित करने वाले मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ पीस या राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी या निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी (बशर्ते कि वह निष्पन्नकर्ता की पहिचान के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हो) के द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित की जानी चाहिये।

टिप्पणी :

हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि बीमे की अन्तिम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। अतएव इस धारणा पर कि अभी इस किस्त का भुगतान नहीं हुआ है हमने किस्त की रकम काट ली है और अगली कार्यवाही पूरी कर दी है तथा इस आधार पर देय राशि निकाली है किन्तु यदि अन्तिम किस्त का भुगतान कर दिया गया है तो इसी प्रीमियम किस्त की मद में काटी गई रकम दावे की रकम के साथ लौटा दी जायगी। यदि भुगतान किया जा चुका है तो सम्बन्धित बीमा कार्यालय, बैंक का नाम, भुगतान की तिथि रकम और कार्यालय / बैंक की प्राप्ति रसीद संख्या के बारे में सूचित करने की कृपा करें ताकि जमा की हुई रकम सरलता से पढ़ी जा सके।